



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-28102025-267221
CG-CG-E-28102025-267221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4760]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947

No. 4760]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

बिलासपुर, 18 अक्तूबर, 2025

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-III, उपखंड – ii, जारी संख्यांक 4937 प्रकाशन दिनांक 10 दिसम्बर 2024, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5335(अ) में -

का.आ. 4911(अ).— केन्द्रीय सरकार, “रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008” की धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती हैं।

सारणी

क्रमांक सं.	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	1. अपर कलेक्टर (भू-अर्जन), रायगढ़, छत्तीसगढ़ 2. तहसीलदार, हेमगिर, सुंदरगढ़, ओडिशा	1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरडेगा से भालुमुडा नई डबल रेलवे लाइन (37.24 कि. मी.) 2. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरडेगा से भालुमुडा नई डबल रेलवे लाइन (37.24 कि. मी.)

के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये –

केन्द्रीय सरकार, “रेल अधिनियम, 1989” की धारा 2 के खंड 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में एतद द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

क्रमांक सं.	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	1. अपर कलेक्टर (भू-अर्जन), रायगढ़, छत्तीसगढ़ 2. तहसीलदार, हेमगिर, सुंदरगढ़, ओडिशा	1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरडेगा से भालुमुडा नई डबल रेलवे लाइन (37.24 कि. मी.) 2. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरडेगा से भालुमुडा नई डबल रेलवे लाइन (37.24 कि. मी.)

[फा. सं. डीसीई/सी-1/बीएसपी/नई बीजी/सरडेगा से भालुमुडा/डबल लाइन/भूमि अधिग्रहण/7A]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 18th October, 2025

In the Notification of the Government of India, Ministry of Railway, South East Central Railway, No. S.O. 5335(E), published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) No. 4937 dated the 10th of December, 2024 is as under —

S.O. 4911(E).— In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the states of Chhattisgarh & Odisha with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of The Special Railway Projects
1	1. Upper Collector (Land Acquisition), Raigarh, Chhattisgarh 2. Tehsildar, Hemgir Tehsil, Sundargarh, Odisha	1. New BG Double line between Sardega-Bhalumuda of South East Central Railway (37.24 KM) 2. New BG Double line between Sardega-Bhalumuda of South East Central Railway (37.24 KM)

Now, it is should be read as –

In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of The Railway Act 1989, the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the states of Chhattisgarh & Odisha with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of The Special Railway Projects
(1)	(2)	(3)
1	1. Upper Collector (Land Acquisition), Raigarh, Chhattisgarh 2. Tehsildar, Hemgir Tehsil, Sundargarh, Odisha	1. “Sardega–Bhalumuda New Double Line (37.24 KM) of South East Central Railway” 2. “Sardega–Bhalumuda New Double Line (37.24 KM) of South East Central Railway”

[F. No. DCE/C/I/BSP/New BG/Sardega-Bhalumuda/DL/Land Acquisition/7A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Construction)